

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

लाया है वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर

विशेष पंजीकरण योजना
द्वितीय चरण



एवं

पहले आओ पहले पाओ योजना*
के अन्तर्गत फ्लैटों को पाने का
सुनहरा अवसर

फ्लैट के मूल्य
में भारी छूट

42%*
तक

निम्न शहरों में फ्लैट प्राप्त कर सकते हैं

- लखनऊ - अवध विहार योजना, राजाजीपुरम् योजना
- मुरादाबाद - मझोला योजना सं.-4 भाग-2
- कानपुर - अम्बेडकरपुरम् योजना नं.-3, कल्याणपुर
- मेरठ - जागृति विहार (विस्तार) योजना सं.-11
- सहारनपुर - शाकुम्भरी विहार योजना
- गाजियाबाद - सिद्धार्थविहार योजना, मण्डोला विहार योजना, वसुंधरा योजना
- आगरा - सिकन्दरा योजना

ऑनलाइन पंजीकरण- दिनांक: 12.02.2024 से 07.03.2024 तक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना में उपलब्ध फ्लैट्स का विवरण

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद

गंगा, यमुना/हिंडन एन्क्लेव

1 बीएचके ₹ 36.29 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.61 कुल फ्लैटों की संख्या 31	2 बीएचके ₹ 52.11 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 81.26 कुल फ्लैटों की संख्या 89	3 बीएचके + स्टडी ₹ 95.25 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 165.73 कुल फ्लैटों की संख्या 115	3 बीएचके+स्टडी+टेरेस ₹ 1.06 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 165.73+(T) 20.89 कुल फ्लैटों की संख्या 07
4 बीएचके+स्टडी ₹ 1.09 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 189.92 कुल फ्लैटों की संख्या 97	पेंट हाउस (डायमंड+टेरेस) ₹ 1.48 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 229.70+(T) 64.45 कुल फ्लैटों की संख्या 02	2 बीएचके+स्टडी ₹ 66.83 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 116.66 कुल फ्लैटों की संख्या 133	3 बीएचके ₹ 1.00 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 128.06 कुल फ्लैटों की संख्या 120
पेंट हाउस (रूबी+टेरेस) ₹ 1.20 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 208.19+(T) 38.69 कुल फ्लैटों की संख्या 08	पेंट हाउस (पर्ल+टेरेस) ₹ 1.10 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 166.50+(T) 37.51 कुल फ्लैटों की संख्या 03		

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद

ई.डब्ल्यू.एस. (4 मंजिला) ₹ 11.62 लाख से ₹ 17.55 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 30.72 कुल फ्लैटों की संख्या 74	ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव (एलआईजी) ₹ 29.75 लाख से ₹ 36.30 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 47.73 कुल फ्लैटों की संख्या 301
---	---

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

मण्डोला योजना, गाजियाबाद

आसरा I, II (ईडब्ल्यूएस) ₹ 7.79 लाख से ₹ 22.18 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 33.59 से 47.73 तक कुल फ्लैटों की संख्या 1887	ईडब्ल्यूएस मण्डोला ₹ 8.87 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 28.41 कुल फ्लैटों की संख्या 321	सपना I, II मण्डोला (एलआईजी) ₹ 26.19 लाख से ₹ 36.92 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.27 से 85.74 तक कुल फ्लैटों की संख्या 474
---	---	---

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

गुलमोहर एन्क्लेव (1 बीएचके) ₹ 12.78 लाख से ₹ 14.42 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 34.07 कुल फ्लैटों की संख्या 884	गुलमोहर एन्क्लेव (2 बीएचके) ₹ 21.04 लाख से ₹ 24.29 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 56.11 कुल फ्लैटों की संख्या 777
---	---

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद

शिखर एन्क्लेव

2 बीएचके ₹ 77.50 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 106.21 कुल फ्लैटों की संख्या 14	3 बीएचके ₹ 1.02 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 144.28 कुल फ्लैटों की संख्या 06
--	---

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना में उपलब्ध फ्लैट्स का विवरण

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

F32 टाइप-2012 ₹8.22 लाख से ₹10.57 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 32.95 कुल फ्लैटों की संख्या 180	F32 टाइप-2014 ₹8.59 लाख से ₹11.11 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 32.95 कुल फ्लैटों की संख्या 46	F32 टाइप-2015-16 ₹9.79 लाख से ₹12.62 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 32.95 कुल फ्लैटों की संख्या 555	एफ 57 टाइप 2015-16 ₹18.83 लाख से ₹21.24 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 57.84 कुल फ्लैटों की संख्या 342
एफ 64 टाइप 2012 ₹22.16 लाख से ₹24.67 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.24 कुल फ्लैटों की संख्या 62	एफ 64 टाइप 2014 ₹19.82 लाख से ₹23.87 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.24 कुल फ्लैटों की संख्या 17	एफ 64 टाइप 2015-16 ₹23.37 लाख से ₹26.92 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.24 कुल फ्लैटों की संख्या 257	एफ 100 टाइप 2012 ₹40.87 लाख क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 99.84 कुल फ्लैटों की संख्या 30
एफ 127 टाइप 2012 ₹40.18 लाख क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 126.81 कुल फ्लैटों की संख्या 19			

मझोला योजना-4, भाग-2 मुरादाबाद

1 बीएचके ₹18.16 लाख से ₹18.71 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 34.07 कुल फ्लैटों की संख्या 39	2 बीएचके ₹29.69 लाख से ₹33.98 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 56.11 कुल फ्लैटों की संख्या 62
--	--

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर (सेक्टर 2A)

F 45 (G+3 फ्लैट्स) ₹17.30 लाख से ₹18.95 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 44.97 कुल फ्लैटों की संख्या 78	F70 (G+3 फ्लैट्स) ₹26.77 लाख से ₹29.33 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 69.71 कुल फ्लैटों की संख्या 120
---	---

अंबेडकरपुरम योजना, संख्या-3, कल्याणपुर, कानपुर

गंगा एनक्लेव

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

3 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-1 ₹84.08 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 132.15 कुल फ्लैटों की संख्या 37	3 बीएचके टाइप-II, ब्लॉक-1 ₹84.55 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 132.88 कुल फ्लैटों की संख्या 13	2 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-2 ₹64.77 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 101.79 कुल फ्लैटों की संख्या 56	2 बीएचके+ स्टडी टाइप-II, ब्लॉक-2 ₹78.32 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 123.09 कुल फ्लैटों की संख्या 40
2 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-3 ₹64.77 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 101.79 कुल फ्लैटों की संख्या 55	2 बीएचके+ स्टडी टाइप-II ₹78.32 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 123.09 कुल फ्लैटों की संख्या 39	ब्रह्मावर्त अपार्टमेंट ₹49.43 लाख से ₹53.77 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 82.22 कुल फ्लैटों की संख्या 54	

पंजीकरण हेतु पात्रता, नियम एवं शर्तें

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 60 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर फ्लैट के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- पंजीकरण धनराशि फ्लैट के निर्धारित मूल्य की 05 प्रतिशत होगी। पंजीकरण धनराशि के भुगतानोपरान्त आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- नकद भुगतान पद्धति पर फ्लैट को आवंटित किया जायेगा।
- पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से **RTGS/NEFT**/ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। प्रवेशन पत्र में अंकित समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगा।
- पंजीकरण होने के पश्चात फ्लैट के मूल्य का सत्यापन जोन के स्तर से कराने के उपरान्त ही आवंटन/मांग पत्र जारी किया जाएगा।
- फ्लैट का कब्जा सम्पत्ति के पूर्ण भुगतान के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- परिषद में इम्पैनल्ड बैंको द्वारा भी अपने स्तर से इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- एक ही श्रेणी के समान तल के फ्लैट के सापेक्ष संख्या से अधिक पंजीकरण प्राप्त होने की दशा में आवंटन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- पंजीकरण के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने से पूर्व फ्लैट के मूल्य का परीक्षण सम्पत्ति प्रबन्धक के स्तर से किया जाएगा। फ्लैट की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. व अन्य विविध शुल्क की अतिरिक्त धनराशि देय होगी।
- जोनल अधिकारी के स्तर से यह सत्यापित किया जाएगा कि फ्लैटों का मूल्य मूल मूल्यांकन से कम न हो। यदि मूल्य में कोई घटोत्तरी/बढ़ोत्तरी होती है तो फ्लैटों के मूल्य में तदानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
- लाटरी में असफल आवेदक को उसी एन्क्लेव के अन्य तल के फ्लैट का आवंटन उसकी सहमति के आधार पर किया जा सकता है। यदि आवेदक लाटरी में असफल होने के पश्चात धनराशि की वापसी चाहता है तो रिफण्ड की कार्यवाही की जाएगी। असफल आवेदक को उसकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/ आवंटन/ निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटि द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।
- ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in के मुखपृष्ठ (**Homepage**) के लिंक "**Online Registration For Plots/Houses/Flats**" पर क्लिक करेंगे।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर "**Apply Online**" लिंक पर क्लिक करना होगा। तदानुसार परिषद द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर साफ्टवेयर द्वारा ई-अण्डरटेकिंग ली जाएगी। ई-अण्डरटेकिंग प्राप्ति के उपरान्त ही पेमेण्ट करना होगा।
- पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।
- योजना में दुर्बल आय वर्ग भवनों के पंजीकरण हेतु आफलाइन माध्यम से भी (**Hybrid Mode**) पंजीकरण संचालित किया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना/शर्तें:-

- चूंकि यह योजना आवासीय है, अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन हेतु किया जायेगा। आवंटन को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।
- उक्त नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली में उल्लिखित नियम व शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी।

विस्तृत जानकारी कार्यालय सम्पर्क

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय संपर्क

गाजियाबाद	- श्री सुनील शर्मा - +916390900133
आगरा	- श्री राजेन्द्र - +918189081090
मुरादाबाद	- श्री देशराज - +91 8189081085
मेरठ	- श्री केशव राम - +917705003066
सहारनपुर	- श्री शिवाजी - +918189081096
कानपुर	- श्री आनंद कुमार- +918189081083
लखनऊ -	
राजाजीपुरम योजना	- श्री नरेश कुमार - +918189081102
अवध विहार योजना	- श्री सुनील - +918189081074

तकनीकी और भुगतान से संबंधित सहायता संपर्क

श्री कुणाल चटर्जी - +91 9415297118
श्री धीरज कुमार - +91 7388199639
ईमेल आईडी-
k.dhiraj@icicibank.com
mayank.bha@icicibank.com

विस्तृत जानकारी, साइट यात्रा हेतु संपर्क अधिकारी / कर्मचारी संपर्क

गाजियाबाद

सिद्धार्थ विहार योजना

गंगा/ यमुना/ हिण्डन/ ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव
- श्री योगेंद्र गुप्ता (JE) +918795810445

मण्डोला विहार योजना

गुलमोहर, आसरा 1,2 सपना 1,2
- श्री प्रवीन कुमार (JE) +91 6390900178

वसुन्धरा योजना

शिखर एन्क्लेव
- श्री राम किशन गुप्ता (JE) +916390900039

कानपुर

गंगा एन्क्लेव अंबेडकरपुरम योजना / ब्रह्मावर्त एन्क्लेव

- श्री योगेंद्र गुप्ता (JE) +918795810445
- श्री शिव पूजन(JE) +91 8795811912, +91 6391809692

मेरठ

श्रेणी F32, F57, F64 हेतु
- श्री दुजई राम (JE) +918795810373
- श्रेणी F100, F127 हेतु
- श्री संदीप कुमार (JE) +918189081530

सहारनपुर - श्री अम्बरीष सक्सेना (EE) +917599003333

मुरादाबाद

श्रेणी 2BHK हेतु
- श्री नीरज कुमार (EE) +918795810195
श्रेणी 1BHK हेतु
- श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज (EE) +918795810429

आगरा

ग्रीन एन्क्लेव

- नवजोत सिंह वर्मा (EE) +91 87958 11676
- राजीव वर्मा (JE) +91 81890 81468

लखनऊ

अवध विहार योजना

नन्दिनी एन्क्लेव, बसेरा-01, बसेरा-02, प्रधानमंत्री आवास योजना
- श्री अनूप जायसवाल (JE) +918795810375
- श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा (JE) +918795810496

मन्दाकिनी एन्क्लेव

- श्री आनन्द भवन सिंह (JE) +918795811762

भागीरथी एन्क्लेव

- श्री अजय कुमार (JE) +918795810708

सरयू एन्क्लेव, प्रधानमंत्री आवास योजना

- श्री प्रमोद कुमार (JE) +918189081536

अलकनन्दा एन्क्लेव, एस.बी.आई एन्क्लेव, जान्हवी एन्क्लेव,
गंगोत्री एन्क्लेव, प्रधानमंत्री आवास योजना, राप्ती एन्क्लेव,
गोमती एन्क्लेव, बसेरा-01, बसेरा-02, वरुण एन्क्लेव

- मनोज कुमार केवट (JE) +918795810507
- श्री मनुदेव (JE) +918795811772

ऑनलाइन / ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

बैंक का नाम	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं०
मेसर्स ICICI बैंक	श्री सौरभ त्रिवेदी	9454850549/9415297118
	श्री धीरज कुमार	7388199639



संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर लॉग इन करें
या डायल करें (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

MRP ₹ 100/-

रेरा संबंधी जानकारी हेतु www.up-rra.in का अवलोकन करें।

** उक्त सूचनाएं सूचनात्मक एवं अनंतिम हैं जिसे किसी भी समय संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है व भविष्य में इसपर कोई भी क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा



UPHDBHQ | www.upavp.in | property@upavp.com